<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

निगरानी/कोलो./3844/2003/गंगानगर

दुली चन्द पुत्र बब्बू सिंह जाति अरोडा निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

फातिया पुत्र नूरा जाति मुसलमान निवासी 3 एस जे एम तहसील घडसाना जिला गंगानगर

अप्रार्थी

एकल–पीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

<u>उपस्थितः</u>–

श्री मनीष पाण्डया, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 01.08.2019

यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन इन्द्रागांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 8–7–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान कलक्टर ने अपने समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 244/92 अन्तर्गत नियम 22(3) नियम 1975 शीर्षक फातिया बनाम दुलीचन्द को स्वीकार कर दुलीचन्द के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को चक 3एस जे एम में मु. नं 37/23 रकबा 25बीघा का स्थाई आवंटन दिनांक22–3–74 को आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया था। तत्पश्चात उसके द्वारा सारी किश्तें जमाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। तत्पश्चात दिनांक 31–7–82 को सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ने उक्त आवंटन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवंटी आवंटन के बाद काश्त नहीं कर रहा है और भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है तथा आवंटी राजकीय सेवा में कार्यरत है। इस आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–2–86 से प्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल कर दिया गया। उसके पश्चात उपनिवेशन आयुक्त के समक्ष विपक्षी फातिया ने दुली चन्द के राजकीय सेवा में होने बाबत शिकायत प्रस्तुत की और दुली चन्द के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया। तत्पश्चात यह प्रकरण जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 22–3–74 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवंटी राजकीय सेवा में मेट के पद पर वर्ष 1969से कार्यरत है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि जिला कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने येाग्य है क्योंकि आवंटन निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील होने पर प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को अपने निर्णय दिनांक 24–2–86 से बहाल रखते हुये आवंटन निरस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया है। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 24–2–86 के विरूद्ध अप्रार्थी

फातिया ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 151/86 फातिया बनाम दुलीचन्द पेश की जिसमें मण्डल की एकल पीठ ने निर्णय दिनांक 31–5–90के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को बहाल रखा है साथ ही अप्रार्थी फातिया को अन्य मुरब्बे आवंटन करने का निर्देश दिया है। मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 31–5–90 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 2882/90 निर्णय दिनांक 12–10–98 में मण्डल के निर्णय दिनांक 31–5–90 को बहाल रखा गया है। तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध खण्ड पीठ में स्पेशल अपील संख्या1118/98 पेश होने पर खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 16जनवरी 2002से एकल पीठ के निर्णय को बहाल रखा।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का अगला तर्क है कि वर्ष 1982से पूर्व राज्य कर्मचारी को किया गया भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने 1997 आर आर डी पेज 9 सोना राम बनाम स्टेट,1999 डी एन जे 509 जसराज बनाम सरकार व 1999 डी एन जे 599 गोपी राम बनाम सरकार की नजीरें पेश की। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अस्थाई काश्तकार लीज होल्डर था जिसे पुख्ता आवंटन के लिये नियम 1975 के तहत निषेध नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने आरआर डी 1993पेज 596 बृजलाल बनाम सरकार का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। प्रार्थी द्वारा वक्त आवंटन कोई तथ्य छिपाये नहीं है कि वह राजकीय सेवा में कार्यरत है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का विगत 30 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है। यदि उसको आवंटित भूमि से बेदखल किया जाता है तो न्याय की पराकाष्ठा(travesty of justice) होगी। इसलिये जिला कलेक्टर द्वारा पारित

आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर एल टी 1993पेज 327,आर आर डी 2002 पेज 106 की नजीरें पेश की। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 2882/1990 में पारित निर्णय दिनांक 12–10–98एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी बी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1118/98फातिया बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 जनवरी 2002 के निर्णयों की फोटो प्रतियों का अवलोकन कराया।

5. इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी दुलीचन्द ने चक 3 एसजेएम के मु.नं.36/23 का 25 बीघा रकबा 1974में सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ से बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन करवाया है जबकि वह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई विभाग में दिनांक 25–1–74 से राजकीय सेवा में नियुक्त था इस प्रकार वह भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है और उसके द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर भूमि का आवंटन कराया है। इसलिये तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराये जाने के कारण उसके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

6. उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान पूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोंकन करने के पश्चात यह स्थिति स्पष्ट होंती है कि इस प्रकरण में प्रार्थी को वर्ष 1974 में आवंटन हुआ जिसे दिनांक 31–7–82को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय

दिनांक 24–2–86 को अपील स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी फातिया ने मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 151/86 पेश की जिसमें मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 31–5–90 के द्वारा निगरानी खारिज कर दी साथ ही अप्रार्थी फातिया को अन्य साढे बारह बीघा भूमि आवंटन करने का निर्देश दिया। मण्डल के निर्णय दिनांक 31–5–90 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 2882/1990 पेश की जो दिनांक 12–10–98 को खारिज हुई। दिनांक 12–10–98 को पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में डी बी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1118/98फातिया बनाम स्टेट व अन्य पेश की गई जो दिनांक 16 जनवरी 2002 को खारिज की गई है। तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा दुलीचन्द को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु दुबारा आवेदन पत्र आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो बाद में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित हुई जिनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8–7–03 से प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को इस आधार पर निरस्त किया है कि वह वक्त आवंटन राजकीय सेवा में था इसलिये वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है।

8. जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में किये आवंटन से सम्बन्धित राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खण्ड पीठ के निर्णयों का कोई उल्लेख विद्वान जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में नहीं किया है। जिन बिन्दुओं को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है वह बिन्दु माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ तक प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 2882/1990 पेश की जो दिनांक 12–10–98 को खारिज हुई जिसमें आवंटन निरस्त करने हेतु निम्न बिन्दु उठाये गये हैं–

that the allotment to Duli Chand was cancelled by the Assistant commissioner (colonisation) on two grounds that he is not personally cultivating the land and also he is a government servant.

जब उक्त बिन्दु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ तक से निर्णित होकर अन्तिम हो चुके है तो अब उसी आधार पर प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा पुनः दुबारा प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भी वही आधार लिये है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में उक्त बिन्दु को निर्णित किया जा चुका है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–7–2003 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य